

राजस्थान सरकार

प्राविधिक शिक्षा मण्डल, राजस्थान, जोधपुर

क्रमांक : एफ 5 (101) प्राशिमं/सामान्य/2014-15/

दिनांक

-:: कार्यालय-आदेश ::-

विवेकानन्द इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भीलवाड़ा (संस्थान कोड संख्या 36) द्वारा की गई अनियमितताएँ, जिला कलेक्टर, भीलवाड़ा द्वारा की गई जांच एवं प्रदत्त जांच रिपोर्ट के आधार पर मण्डल स्तर पर गठित की गई कमेटी की अभिशंषा, संबद्धता समिति के समक्ष प्रस्तुत करने पर संबद्धता समिति की अभिशंषा के आधार पर संबद्धता नियमों के बिन्दू संख्या 5.2 के अन्तर्गत संस्थान की संबद्धता एक वर्ष (सत्र 2015-16) के लिए निलम्बित की जाती है।

ये आदेश तुरन्त प्रभावी माना जायेगा।

६०

संयुक्त निदेशक एवं सचिव

क्रमांक : एफ 5 (101) प्राशिमं/सामान्य/2014-15/ 6668 दिनांक 27 OCT 2015
प्रतिलिपि :- निम्न को वास्ते सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रधानाचार्य, विवेकानन्द इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ग्राम एवं पोस्ट - आटून, आई टी एम यूनिवर्सिटी के पास, भीलवाड़ा (राज.)।
2. जे० एस० मेमोरियल शिक्षा समिति, जीवन ज्योति कॉम्प्लेक्स, सिटी स्टेशन रोड, सूरजपोल, उदयपुर, राजस्थान - 313 001.
3. संयुक्त निदेशक, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, जोधपुर को भेजकर लेख है कि संस्थान में अध्ययनरत विद्यार्थियों का स्थानान्तरण अन्य संस्थानों में करने का श्रम करावें।
4. जिला कलेक्टर, भीलवाड़ा।
5. अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली/चण्डीगढ़।
6. प्रभारी गोपनीय शाखा/परीक्षा शाखा/लेखा शाखा/कैशियर/ भण्डार शाखा/कम्प्यूटर शाखा/सी०डी०सी०/स्थापना शाखा/पुस्तकालय शाखा।

३१/१०

संयुक्त निदेशक एवं सचिव